



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8135 सन् 2026

शैलेश कुमार यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: दिव्यांश राय

प्रतिपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक वाद संख्या 982 सन् 2025 (राज्य बनाम मनीष कुमार यादव एवं अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 228 सन् 2024 से उत्पन्न है, धारा 419, 420, 468, 471, 406 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना माधुबन, जनपद मऊ से संबंधित है, की समस्त कार्यवाही तथा दिनांक 14.01.2025 का आरोप पत्र एवं दिनांक 06.02.2025 का संज्ञान/समन आदेश, जो माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), मऊ द्वारा पारित किया गया है, निरस्त किए जाएँ।

3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र, संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान वाद की समस्त कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में स्थापित विधिक प्रतिपादन के अनुसार धारा 420 तथा 406 भारतीय दण्ड संहिता एक साथ लागू नहीं हो सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, परिवाद के साधारण अवलोकन से उपर्युक्त वर्णित आवश्यक अवयवों में से कोई भी स्थापित नहीं होता है। हम केवल इतना कहना चाहेंगे, ताकि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि के संबंध में विद्यमान गंभीर भ्रांति का निराकरण हो सके, कि यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है, किया गया है, तो साथ ही साथ यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिभाषित एवं व्याख्यायित कपट (चीटिंग) का अपराध, जो धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है, भी किया है।

41. साधारण अनुबंध भंग तथा आपराधिक न्यासभंग एवं कपट (चीटिंग) के अपराध के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। कपट के मामले में, अभियुक्त की उस समय की मंशा, जब उसे प्रेरित किया गया था, का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन उसके पश्चातवर्ती आचरण से किया जा सकता है, किन्तु इस हेतु केवल पश्चातवर्ती आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र अनुबंध भंग से कपट के लिए आपराधिक अभियोजन उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय से जब अपराध किए जाने का आरोप है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा इस अपराध का सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग तथा कपट (चीटिंग) के बीच अंतर है। कपट के मामले में, मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन (representation) करते समय अर्थात् प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल यह सिद्ध करना पर्याप्त होता है कि संपत्ति का न्यास (entrustment) किया गया था। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को विधिपूर्वक संपत्ति सौंपी जाती है और वह उसे बेईमानी से हड़प लेता है। जबकि कपट के मामले में अपराधी छलपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. यह अत्यंत आवश्यक है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे कपट (चीटिंग) तथा आपराधिक न्यासभंग के

अपराध के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं पृथक हैं। ये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दोनों अपराध एक ही तथ्यों के आधार पर एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।
ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दण्ड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है, किन्तु आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसे विवादित करने में असमर्थ रहे हैं।

5. चूँकि आवेदक की ओर से केवल विधिक तर्क ही प्रस्तुत किया गया है, अतः विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा अपवर्जित की जाती है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का परिशीलन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि धारा 420 एवं धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता दोनों एक साथ एक ही प्रकरण में लागू नहीं हो सकतीं। अतः वर्तमान प्रकरण के अन्य गुण-दोष में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना, दिनांक 06.02.2025 का संज्ञान/समन आदेश, जो माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), मऊ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 982 सन् 2025 (राज्य बनाम मनीष कुमार यादव एवं अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 228 सन् 2024 से उत्पन्न है, धारा 419, 420, 468, 471, 406 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत, थाना माधुबन, जनपद मऊ से संबंधित है, में पारित किया गया है, केवल आवेदकगण के संबंध में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), मऊ को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में, यदि आवश्यक हो, अपराध का संज्ञान ग्रहण करने हेतु नवीन आदेश पारित करें।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

दिनांक : 25 मार्च, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।